राजकीय महाविद्यालय , बामनवास
(सवाई माधोपुर) राजस्थान
(कोटा विश्वविद्यालय , कोटा से संबद्ध)

|| तमसो मा ज्योतिर्गमयः ।।

विवरणिका
PROSPECTUS
सत्र 2021-2022

राजकीय महाविद्यालय , बामनवास
(सवाई माधोपुर) राजस्थान
(कोटा विश्वविद्यालय , कोटा से संबद्ध)

विवरणिका
सत्र 2021-2022

!! तमसो मा ज्योतिर्गमयः ।।
प्राचार्य एवं संरक्षक
डॉ दिलीप कुमार गोयल

सम्पादक मण्डल

डॉ दिलीप कुमार गोयल - प्रधान संपादक
डॉ योगेंद्र कुमार धामा - सह संपादक
श्री भीम सिंह मीना - सदस्य

प्राचार्य की कलम से…………
प्रिय विधार्थियो ,

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सरस्वती सदन में प्रवेश लेने वाले आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपना लक्ष्य प्राप्त करें , सुयोग्य नागरिक बने , निर्विघ्न अपना अध्ययन पूर्ण करें , स्वस्थ रहें और अनुदिन समृद्धि को प्राप्त करें ।

जिज्ञासु अन्तेवासीगण ! वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी अपने चरम पर है । कॉलेज का वेब पोर्टल इन्टरनेट पर उपलब्ध है जिसके माध्यम से आप सीधे महाविद्यालय की गतिविधियों से जुड़ सकते है । विवरणिका और एकीकृत प्रवेश आवेदन - पत्र भी आपका पोर्टल पर उपलब्ध करवाये गये हैं । आशा है इस वैब पोर्टल के माध्यम से आप स्वयं को अधिक सुविधाजनक अनुभव करेंगे साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी से रूबरू भी हो पायेंगे ।

स्नेहिल विद्यार्थियों ! शिक्षा के इस मंदिर में अति समय आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देना चाहता हूं -

1. अपने कर्तव्य (अध्ययन) का सर्वदा व सर्वथा पालन करें ।
2. अनुशासन में रहे ।
3. गुरूजन व माता - पिता का सम्मान करें ।
4. महाविद्यालय के नियमों का पालन करें ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्र 2021-22 में आप भी महाविद्यालय के साथ अपने शहर और माता - पिता का नाम रोशन करेंगे । मैं आपके सफल , सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ ।

जय हिन्द ।

शुभेच्छु
डॉ दिलीप कुमार गोयल
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय बामनवास (स.मा.)

महाविद्यालय एक परिचय : -

राजकीय महाविद्यालय बामनवास की स्थापना सितम्बर 2013 में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीणों क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये की गई है । बामनवास , सवाई माधोपुर जिले की अनुसूचित जाति , जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग बहुल तहसील है । इसकी पश्चिम दिशा में अरावली पर्वत की पहाड़ियां है , पूर्व दिशा में 25 कि.मी. दूर दिल्ली मुम्बई रेल्वे लाईन है जो गंगापुर सिटी स्टेशन से गुजरती है । दौसा गंगापुर सिटी रेल्वे लाइन का स्टेशन बामनवास में बन रहा है । बामनवास कस्वा गंगापुर सिटी लालसोट के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग 11 बी से 07 कि.मी. उत्तर की ओर बसा हुआ है । वही उत्तर - पश्चिम दिशा मे मोरा सागर बाँध एवं गढ़मोरा जैसे ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं । बामनवास पूर्णतया माड़ क्षेत्र में है । यहां की जनसंख्या लगभग 20 हजार जिसमें सभी वर्गों के लोग निवास करते हैं ।

राजस्थान सरकार के आदेशों से राजकीय उच्च माध्यमिक पट्टी खुर्द के परिसर में दक्षिण भाग के छ कमरे राजकीय महाविद्यालय हेतु आवंटित किये गये हैं । प्रथम सत्र

2013-14 में यहां 101 विधार्थियों ने प्रवेश लिया । गत सत्र में पार्ट प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय की छात्र संख्या 229 रही । महाविद्यालय में अभी केवल कला संकाय में ही प्रवेश की अनुमति है । शिशु अवस्था के इस महाविद्यालय के विकास हेतु महाविद्यालय विकास समिति के पंजीकरण किया जा चुका है । महाविद्यालय हेतु जमीन आवंटित की जा चुकी है । महाविद्यालय भवन निर्माणाधीन है ।

पाठ्यक्रय एवं विषय

महाविद्यालय में कला संकाय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध है ।
कला स्नातक पाठ्यक्रम बी ए . पार्ट **-1 ,** पार्ट**-** ।। एवं पार्ट ।।।

बी.ए. भाग प्रथम में सामान्य हिन्दी , सामान्य अंग्रेजी , प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय होंगे । कला संकाय के त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में निम्नलिखित वैकल्पिक विषय एवं विषय - समूह उपलब्ध है ।
वैकल्पिक विषय **: -**
1 . इतिहास , 2 . भूगोल , 3. राजनीति विज्ञान , 4 . हिन्दी साहित्य 5. संस्कृत साहित्य 6. अर्थशास्त्र एवं 7 . अंग्रेजी साहित्य ।
प्रवेशार्थी निम्नलिखित विषय समूहों में से कोई पाँच विकल्प वरीयता क्रम में अंकित करें ।
विषय संयोजन **:**

Sr. no.	**Subject 1**	**Subject 2**	**Subject 3**
1	English Lit.	Geography	Economics
2	English Lit.	Political science	Economics
3	English Lit.	Hindi Lit.	History
4	Hindi Lit.	Political science	Sanskrit
5	Hindi Lit.	Political science	History
6	Hindi Lit.	Sanskrit	History
7	Sanskrit	Political science	History
8	Geography	Political science	History
9	Political science	Geography	Economics
10	Political science	English Lit.	History
11	English Lit.	Geography	History
12	English Lit.	Hindi Lit.	Economics

13	Sanskrit	Geography	History
14	Geography	Sanskrit	Political science

नोट :

- विद्यार्थी आवेदन पत्र में उपरोक्त विषय समूहों को वरीयता क्रम में अंकित करें ।
- विषय समूह का अंतिम आवंटन विधार्थी के प्राप्तांकों को मैरिट के आधार पर महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा ।
- द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में वे ही वैकल्पिक विषय रहेंगे जो प्रथम वर्ष में चुने थे ।

स्नातक स्तर के पार्ट प्रथम के लिये उपलबध वर्गों की संख्या
कक्षा का नाम स्वीकृत वर्ग प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान बी.ए. पार्ट - प्रथम **01**
80 नोट-

1. किसी भी स्थिति में उक्त निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश नहीं दिये जायेंगे ।
2. बी.ए. पार्ट द्वितीय के लिये महाविद्यालय के सभी उत्तीर्ण नियमित छात्र प्रवेश योग्य है
3. बी.ए. पार्ट तृतीय के लिये महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के सभी उत्तीर्ण नियमित छात्र प्रवेश योग्य हैं ।
4. स्वीकृत वर्गों एवं स्थानों की संख्या निदेशालय के आदेशानुसार परिवर्तनीय है ।

शैक्षणिक सूचनायें

प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी को निर्धारित प्रवेश आवेदन पत्र (CAF) जो कि विभागीय वेबसाईट www.dce.rajasthan.gov.in , www.hte.rajasthan.gov.in , www.dceapp.rajasthan.gov.in के महाविद्यालय के web page पर विवरणिका , प्रवेश नीति एवं शैक्षणिक सत्र - सारिणी सहित उपलब्ध है । प्रवेश आवेदन पत्र (Online) ही भरने हैं ।

(अ) उपस्थिति नियम

1 . सत्र में लिये गये सभी विषयों के व्याख्यानों में पृथक - पृथक कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है । सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं को पृथक - पृथक विषय माना जावेगा । उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर संबंधित छात्र को परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठने नहीं दिया जावेगा ।
2 . जो विधार्थी एन सी सी . , एन.एस.एस. रोवर / रेंजर , अन्तर्महाविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिता आदि में भाग लेने भेज जावेंगे उन्हें उन दिवसों की उपस्थिति दी जावेगी ।
3 . उपस्थिति सत्र के आरम्भ में कक्षाओं के लगने की तिथि से गिनी जावेगी । यदि कोई छात्र विषय परिवर्तन करता है , तो पूर्व विषय की उपस्थिति नये विषय में नहीं जोड़ी जावेगी । यदि

कोई छात्र इस महाविद्यालय में सत्र के बीच में किसी अन्य महाविद्यालय से आता है तो उसके स्थानान्तरण प्रमाण - पत्र में अंकित उपस्थिति कुल उपस्थिति में जोड़ दी जावेगी ।
4. उपस्थिति संबंधी नियम विश्वविद्यालय द्वारा समय - समय पर निर्धारित होते हैं , तथा वे ही मान्य होंगे ।

(ब) आचरण संवधी सामान्य नियम

1 . महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है ।
2 . किसी सभा का आयोजन करने या बाहर से किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिये प्राचार्य की अनुमति आवश्यक है ।
3 . छात्र / छात्राओं कक्षाओं के भीतर व बाहर शान्त रहंगे । महाविद्यालय की स्थापित परम्पराओं के अनुसार अनुशासित रहना छात्र का कर्तव्य है ।
4 . छात्र अपने खाली समय का उपयोग पुस्तकालय व वाचनालय में अध्ययन करने में कर सकते
5 . विद्यार्थी घास के मैदानों एवं फूल - पौधो का उचित संवर्द्धन करें तथा नुकसान न पहुँचायें ।
6. छात्र महाविद्यालय संपदा का उचित ढंग से उपयोग करें । अध्ययन कक्षों में आवश्यकता न होने पर पंखों को बन्द कर दें तथा फर्नीचर , विजली के उपकरणों व फिटिंग को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचायें ।
7 . पूर्व छात्र प्राचार्य की लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करने पर ही कक्षा में बैठे ।
8.अनुशासन भंग करना गंभीर अपराध है । अनुशासनहीन विधार्थी को दण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है ।
9. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये छात्र / छात्रा को छात्रवृत्ति एवं शुल्क मुक्ति नहीं दी जावेगी ।
10. अच्छा चरित्र प्रमाण - पत्र पाने के लिये अच्छा आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितांत आवश्यक है ।
11 . प्रत्येक छात्र / छात्रा को महाविद्यालय समय में अपना परिचय - पत्र अपने पास रखना चाहिये और आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी के पूछे जाने पर दिखाना चाहिये ।
12. दुराचरण के दोषी छात्र / छात्रा के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम 88 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी , जिसके अन्तर्गत दोषी छात्र / छात्रा को कुछ समय के लिये अथवा पूरे सत्र के लिये महाविद्यालय से निकाला जा सकता है ।
13. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाने वाले अथवा अधीक्षक के आदेशों की अवहेलना करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय अधिनियम 152 के प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जावेगा । वि.वि. अधिनियम एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम , 1992 व वि.वि. अधिनियम 152 की धारा (4) के अन्तर्गत अधीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को उस प्रश्न - पत्र की अथवा शेष सभी प्रश्न - पत्रों की परीक्षा से वंचित किया जा सकता है ।

14 . राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक स्थल अधिनियम के अन्तर्गत महाविद्यालय में धूम्रपान , नशीली वस्तुओं एवं तम्बाकू का सेवन करना दण्डनीय अपराध होगा ।
15. पुस्तकालय की पुस्तकों को दूसरे छात्रों के साथ हस्तान्तरित करना अथर उनकी चोरी करना गम्भीर दुराचरण माना जावेगा । तदनुसार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।
16. कक्षा के अन्तर्गत तथा महाविद्यालय परिसर में की गई अनुशासनहीनता को गंभीर दुराचरण माना जवेगा और दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावेगी ।
17 छात्र / छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने महाविद्यालय परिवार के प्रति विनयशील रहें तथा महाविद्यालय की सम्पत्ति की रक्षा स्वयं करें और हानि पहुंचाने वालों को प्रकाश में लावें ।
18. महाविद्यालय भवन जिसमें पुस्तकालय भवन , प्रयोगशाला भवन भी शामिल है की दीवारों पर कुछ भी न लिखें । यदि कोई विद्यार्थी दीवारों पर लिखते हुए पाया गया या उसके समर्थन में लिखा गया है , तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

कक्षा

1. महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिये बिना छात्र को कक्षा में नहीं बैठने दिया जावेगा ।
2. विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति शालीन रहें ।
3. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्राध्यापक के आने से पूर्व कक्षा में प्रविष्ट हों तथा प्राध्यापक द्वारा कक्षा छोड़ने तक वहीं रूके रहें ।
4. प्राध्यापक के कक्षा में प्रवेश करते ही छात्र अपने स्थान पर खड़े होकर प्राध्यापक का सम्मान करें ।

सभा स्थल

1. महाविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी सभा या समारोह के अवसर पर सभी विद्यार्थी , अतिथिगण , प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों के सभा स्थल में प्रवेश होने एवं प्रस्थान करने के समय शिष्टाचार पूर्वक खड़े रहें तथा उनके स्थान ग्रहण करने से लेकर स्थान छोड़ने तक सभा स्थल पर उपस्थित रहें ।
2. प्रत्येक परिसंवाद और वाद - विवाद में विनम्रता , सम्मान और सद्भावना अपेक्षित है ।

महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधायें

(1) पुस्तकालय

- महाविद्यालय में पुस्तकालय व वाचनालय की सुविधा है । बुक - बैंक योजना के अन्तर्गत निर्धन तथा प्रतिभावान छात्र / छात्राओं को पूरे सत्र के लिये भी पुस्तकें दी जायेगी । पुस्तकें हमारी धरोहर हैं , अतः उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचायें बिना ज्ञानार्जन करें ।

पुस्तकालय के नियम :

- पुस्तकालय में प्रवेश करते समय अपना निजी सामान काउन्टर पर रखें ।
- वाचनालय खुलने का समय प्रात 10. 30 से सांय 500 बजे तक का है । वाचनालय में विद्यार्थी शांत रहकर अध्ययन करें । किसी भी प्रकार की आवाज या बातचीत निषिद्ध है ।
- छात्रों को पुस्तकें प्रतिदिन प्रात 10:30 बजे से 200 बजे तक उनके कार्ड पर परिचय - पत्र दिखाने पर निर्गमित की जावेगी ।
- कार्यालय से प्राप्त विद्यार्थियों की सूची के अनुसार प्रत्येक छात्र को दो पाठक टिकिट दिये जायेंगे । जिसके लिये उन्हें काउन्टर पर अपना पहचान - पत्र दिखाना होगा । यह पाठक टिकिट हस्तान्तरणीय नहीं है ।
- पुस्तकालय से विद्यार्थियों को पुस्तके उनके पाठक टिकिट पर 15 दिन के लिये निर्गमित की जाती है । निर्धारित तिथि तक न लौटाने पर प्रत्येक पुस्तक पर 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड लिया जावेगा ।
- महाविद्यालय के बुक बैंक से निर्धन छात्रों को पुस्तकें दी जाती है । इसके लिये छात्र निर्धारित आवेदन पत्र 1 रूपया देकर पुस्तकालय से प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक पुस्तकालय में जमा करावें । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन - पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- पुस्तकालय की पुस्तकों पर अपना नाम लिखने , उसमें किसी भी प्रकार का चिहन आदि लगाने अथवा पृष्ठ फाड़ने या पुस्तक को अन्य किसी प्रकार से खराब करने पर पुस्तक के मूल्य की दुगुनी राशि वसूल की जावेगी ।
- संदर्भ / ग्रन्थ / आरक्षित पाठ्य - पुस्तकें और पत्रिकायें घर के लिये निर्गमित नहीं की जाती है । किन्तु आवश्यकता पड़ने पर परिचय - पत्र के माध्यम से वाचनालय में देखी जा सकती है ।
- वाचनालय में पत्रिकाएँ उन्हें पढ़ने हेतु छात्र का अपना परिचय - पत्र उपस्थित कर्मचारी को देना होगा । पत्रिकाओं में से पृष्ठ फाड़ने या उनके चित्र खराब करने की स्थिति में दोषी छात्र से पत्रिका का दुगुना मूल्य वसूला जावेगा ।
- यदि कोई विद्यार्थी पुस्तकालय की पुस्तक चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे निर्धारित नियमों के अन्तर्गत दण्डित किया जावेगा । .
- पुस्तक प्राप्त करने से पूर्व भली - भांति पुस्तक देखकर लेना चाहिये । यदि पुस्त के पन्ने फटे हुए हों या कम हों तो संबंधित अधिकारी को दिखाकर उनके हस्ताक्षर करा लें अन्यथा पुस्तक लौटाते समय यदि फटी हुई पायी जावेगी अथवा उसके पृष्ठ कम हुए तो उसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।
- विद्यार्थी का कार्ड खोने व उन पर प्राप्त की गइ पुस्तकों के खो जाने पर तुरन्त लिखित सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी चाहिए ।
- पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारपाल को बाहर जाने वाली सभी पुस्तकों को देखने का पूर्ण अधिकार है ।
- पुस्तकालय कर्मचारी को विद्यार्थियों की तलाशी लेने का अधिकार है ।

पुस्तक बैंक

महाविद्यालय के ऐसे नियमित छात्र / छात्राएँ जिनकों की स्कॉलरशिप मिलती है , उन्हें पुस्तक बैंक से पुस्तक दिये जाने की राज्य सरकार ने व्यवस्था की है । अतः ऐसे छात्र / छात्राएँ पुस्तकालय के सूचना - पट्ट पर जारी सूचना के अनुसार आवेदन - पत्र राशि 1 रूपया देकर पुस्तकें नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं । पुस्तक बैंक योजना के अन्तर्गत निर्गमित पुस्तकों को परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह में जमा कराना अनिवार्य है । यदि कोइ छात्र परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह बाद तक पुस्तकें नहीं लौटाता है तो उसे 7 दिन बाद 50 पैसे प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब दण्ड देना होगा । यदि परीक्षा समाप्ति के एक माह बाद तक विद्यार्थी पुस्तकं जमा नहीं कराता है तो उससे पुस्तकों के मूल्य की दुगुनी राशि वसूली जावेगी ।

पुस्तकें लौटाने की व्यवस्था

पुस्तकालय पाठक टिकट एवं उन पर ली गई पुस्तकें प्रवेश - पत्र से पूर्व लौटा देनी होगी । पुस्तकालय पाठक टिकट खो जाने की स्थिति में 5 / - रूपया प्रति टिकट जमा कराना होगा तथा 5 / - रूपये अतिरिक्त दण्ड देना होगा । खोये गये पाठक टिकिट पर प्राप्त की गई पुस्तकों के लिए पुस्तकालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

(2) कम्प्यूटर शिक्षा

राज्य सरकार द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा के महत्व को देखते हुए स्नातक पार्ट प्रथम में प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग का एक अनिवार्य विषय प्रारम्भ किया गया है । जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था होगी । उक्त शिक्षण के लिए स्नातक पार्ट प्रथम के सभी विद्यार्थियों के लिए 450 / रूपये की कम्प्यूटर शिक्षण शुल्क की राशि महाविद्यालय में प्रवेश के समय शुल्क के साथ जमा करानी होगी । Educomp Ltd. कम्पनी / या अन्य माध्यम द्वारा नियुक्त शिक्षकों द्वारा सत्रावधि में छात्रों को सैद्धान्तिक व व्यावहारिक शिक्षण कराया जावेगा ।

(3) रोवर स्काउटिंग एवं रेंजर

देश के विकास के लिए छात्रों में सेवा भावना एवं पारस्परिक मेल - जोल बढ़ाने के लिए महाविद्यालय स्तर पर स्काउटिंग की एक इकाई रोवर क्रू (छात्र) चलाई जा रही है , जिसका संचालन राज . राज्य भारत सरकार व गाइड द्वारा होता है इसके अनतर्गत स्थानीय जिला , राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिविर आयोजित करवाये जाते हैं । उनके प्रवीण , निपुण एंव राष्ट्रपति रोवर विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसके माध्यम से छात्र / छात्राओं के चरित्र निर्माण में मदद मिलती है व राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है । जो विद्यार्थी सेवा भावना में विश्वास रखते हैं तथा देश के विकास के प्रति जागरूक है , वे पारम्परिक सदभावना एवं मेलजोल बढ़ाने वाली इस प्रवृत्ति में भाग लेकर लाभान्वित हो सकते हैं । रोवर एवं रेंजर क्रू में क्रमशः 24 छात्र तथा 24 छात्राएं पंजीकृत किये जाते है ।

(4) युवा विकास केन्द्र **(V.D.C)**

राज्य में विद्यार्थियों की अधिकाश संख्या ऐसी है जो मार्गदर्शन के अभाव में बेहतर भविष्य निर्माण के मौके को चूक जाते हैं । क्योंकि उन्हें समय पर केरियर निर्माण संबधित जानकारी नहीं मिल पाती । महाविद्यालयों में अच्छे अंक लाने के बावजूद खास प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश नहीं पा सकते । इस स्थिति मैं सुधार लाने के लिए आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान , जयपुर ने महाविद्यालयों में युवा विकास केन्द्र स्थापित किये हैं । युवा विकास केन्द्र का उद्देश्य युवाओं के स्वांगीण विकास में सहायता करना तथा अनिवार्य गतिविधियों के रूप में युवा विकास केन्द्र पर विद्यार्थियों हेतु भावी अध्ययन , केरियर , स्वरोजगार , रिक्तियों आदि की सूचनाएं एवं केरियर से संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है । स्नातक स्तर की समस्त कक्षाओं के विद्यार्थियों को इससे जुड़ने का अवसर दिया जाता है ।

(5) छात्र संघ

महाविद्यालय में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के निर्देशानुसार एवं छात्र संघ संविधान के अन्तर्गत छात्र संघ का गठन किया जाता है । इसका कार्यकाल एक शैक्षणिक सत्र होता है । इसके अन्तर्गत छात्र - कल्याण एवं विकास संबंधी गतिविधियों का संचलान किया जाता हैं ।

(6) रेगिंग संबंधी प्रावधान

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए विनियम " Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions 2009 " के अनुसार महाविद्यालय रैगिंग करना अथवा रंगिंग में सहयोग करना दण्डनीय अपराध है । यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग जैसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है , तो उसके विरूद्ध उक्त विनियमों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी । विद्यार्थी रैगिंग से संबंधित शिकायत महाविद्यालय में गठित एंटी रैगिंग सेल से कर सकते हैं ।

(7) विश्वविद्यालय अध्यादेश **-88**

अगर कोई गम्भरी दुर्व्यवहार अथवा जान बुझाकर कार्य की उपेक्षा का दोषी पाया गया तो प्राचार्य उसकी प्रवृत्ति और अपराध की प्रकृति से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उस छात्र को :-

- कम से कम एक माह तक महाविद्यालय से निष्कासित कर सकते हैं ।
- कम से कम छः माह और अधिक से अधिक एक शैक्षणिक सत्र के लिए निष्कासित कर सकते है ।
- दी जाने वाली परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर सकते है ।निष्कासित छात्र महाविद्यालय की अनुमति के बिना अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकेगा ।

(8) अभिभावकों से निवेदन

- अभिभावकों को चाहिए की वे अपने बच्चों , आश्रितों की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए समय - समय पर प्राध्यापको एवं प्राचार्य से अवश्य सम्पर्क करें ।
- सभी विद्यार्थियों के अभिभावक महाविद्यालय के समस्त कार्यक्रमों में सादर आमन्त्रित है । किसी को पृथक से निमंत्रण - पत्र प्रेषित करना संभव नहीं होगा ।
- अभिभावकों को चाहिए की अपने बच्चों , आश्रितों को प्रतिदिन महाविद्यालय आने के लिए प्रेरित करें । अनावश्यक घरेलू या व्यावसायिक कार्यों से उन्हें महाविद्यालय आने से नहीं रोके ।
- अभिभावक को चाहिए की वे अपने बच्चों , आश्रितों के लिए पुस्तकों एवं पठन सामग्री का प्रबन्ध समय पर कर दें ताकि उनकी पढ़ाई में व्यवधान न हो ।
- उपस्थिति की कमी संबंधी पत्र महाविद्यालय से प्राप्त होते ही अपने पुत्र / पुत्री / आश्रित को महाविद्यालय निरन्तर आने के लिए निर्देश दें ।

(9) शुल्क मुक्ति एंव छात्र सहायता कोष

- जिन छात्रों को विवरणिका में वर्णित नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है , वे शुल्क मुक्ति एवं छात्र सहायता कोष समिति के विचारार्थ अपने आवेदन - पत्र दे सकते है ।
- आवेदन पत्र ऑनलाईन (ONLINE) भरे जावेंगे ।
- अगर किसी अभिभावक के दो या दो से अधिक छात्र / छात्राओं महाविद्यालय में पढ़ते है तो शुल्क मुक्ति का लाभ केवल एक को ही मिलेगा ।

<u>महाविद्यालय शुल्क तालिका</u>

1.	1.01	Admission fees	2	2	2	
2.	2.01	Tuition fees UG 1 NITP	42	0	0	
	2.02	Tuition fees UG 1 NITP	144	0	144	
3.	3.01	Lab fee UG Arts Pract subject	100	100	100	
B. Other fees						

1.		Computer education	450	450	450	
2.		Mahavidyalaya Vikas samiti fees	100	100	100	
3.		Insurance fee	50	50	50	
4.		University games fee	100	100	100	
5.		Other fees	1	1	1	

C. Boys fund

1.	4.01	Caution money	20	20	20	
2.		Library fee				
	2.01	Library fee	10	10	10	
	2.02	Library card /token fee	20	20	20	
	2.03	Library open self	5	5	5	
	2.04	Reading room	20	20	20	
	2.05	College magazine	10	10	10	

Student activities

	3.01	Cultural activity	10	10	10
	3.02	Planning forum	0	0	0
	3.03	Rangering /scout /guide	10	10	10
	3.04	Literary activity e academy council	10	10	10
	3.05	Association fees	10	10	10
	3.06	Social awareness fees	5	5	5

General purpose peace

	4.01	General purpose fees	30	30	30
	4.02	Student help fees	5	5	5
	4.03	Environment fees/campus cleaning	10	10	10
	4.04	Medical check up fees	10	10	10
	4.05	Identity card fees	10	10	10

	4.06	Computer Wi-Fi	20	20	20
	4.07	College development	50	50	50
	4.08	Water/electricity	25	25	25
	4.09	Exam fees	10	10	10
	4.10	Attendance information fees	5	5	5

Games fee

	5.01	College games fees	50	50	50

Student union

	6.01	Student union fees	50	50	50

Parking fees

	7.01	Cycle stand fees	50	50	50

8.01	Girls association fees	0	50	50	For all girls

नोट-

- नूतन प्रवेशार्थी को उक्त शुल्क के अतिरिक्त निम्नांकित शुल्क भी देना होगा

1. विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क 150.00 रू .
2. पात्रता शुल्क 150.00 रू .
3. प्रायोगिक भूगोल शुल्क 100.00 रु .
4. योजना मंच (अर्थशास्त्र विषय के लिए) 10.00 रू .

- उपर्युक्त शुल्क राशि में यदि राज्य सरकार / विश्वविद्यालय द्वारा कोई परिवर्तन या वृद्धि की जाती है तो छात्र / छात्रा द्वारा वह राशि देय होगी ।
- पात्रता शुल्क केवल ऐसे विद्यार्थियों द्वारा देय है जिनने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से प्रवेश अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(10) छात्रवृत्तियाँ एवं शुल्क मुक्ति

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ **-**
(अ) मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है ।

(1) पात्रता **-**

(क **)** केवल वे ही छात्र , जो राजस्थान के अनु जाति / अनु जनजाति / विशेष पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो ।
(ख **)** शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय / संकाय में अध्ययन करने लगे , जैसे - बी.ए . के बाद बी.कॉम करने लगे या एम.ए. के बाद किसी अन्य विषय में एम.ए. करने लगे इसके पात्र नहीं होंगे ।
(ग **)** नियोजित छात्र , जिनहोने पाठयक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्यन कर रहे हों , छात्रवृत्ति पाने के हकदार होगें ।
(घ **)** एक ही माता - पिता अभिभावक के बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे ।
(ड **)** कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं दी जाती हों ।
(च **)** अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिये देय नहीं ।

(2) राशि

(1) स्नातकोत्तर कला , वाणिज्य 530
(2) स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय 300
(3) स्नातक पार्ट - प्रथम 300

(3) आय जाँच

माता - पिता की वार्षिक आय एस टी / एस.सी. / विशेष पिछड़ा वर्ग 2,00,000 / - रूपये (मकान किराया भत्ता छोड़कर) से अधिक होने पर उक्त छात्रवृत्तियों देय नहीं होगी ।

नोट**-** आय प्रमाण - पत्र केवल एक बार लिये जाने की आवश्यकता है अर्थात एक वर्ष से अधिक वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ।

(4) फीस **-** छात्र द्वारा संस्था / विश्वविद्यालय को दी जाने वाली फीस का भुगतान किया जायेगा किन्तु इसमें कॉशन मनी सम्मिलित नहीं होगी ।

(5) नवीनीकरण**-** अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक दी जायेगी इसके लिए छात्रों का अच्छा आचरण व उपस्थिति में नियमितता आवश्यक है ।

(6) भुगतान **-** छात्र का चयन आय जाँच के आधार पर किया जायेगा , इसके बाद प्राचार्य द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे । छात्रवृत्ति का भुगतान अप्रेल या नामांकन के माह से (20 तारीख बाद करने पर अगले माह) जो भी बाद में हो , से परीक्षा पूरी होने तक प्रति माह किया जायेगा ।

नोट**-** विद्यार्थी का आचरण असन्तोषजनक होने पर या झूठी घोषणा पर गलत भुगतान किये जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है ।
(7) आवेदन **-** छात्रवृत्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में देय होगा , जिसमे निम्न सूचना आवश्यक है -
(क) पासपोर्ट साईज फोटो
(ख) उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकतालिका / प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ
(ग) जाति प्रमाण पत्र (तहसीलदार स्तर से नीचे न हो)
(घ) आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड
(ड) आय प्रमाण - पत्र

1. तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण - पत्र
2. नियोजित माता - पिता / अभिभावकों को अपने नियोजकों से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(ब) अनुजाति / अनु जनजाति के विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(क) दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता
पाठ्यक्रम का स्तर पाठक भत्ता (रूपये प्रतिमाह) समूह- क , ख , ग 150
समूह - घ 125

(ख) विकलांग छात्रों के लिए प्रतिमाह 100 / - रूपये परिवहन भत्ते का प्रावधान यदि वह छात्र संस्था के परिसर में स्थित होस्टल में नहीं रहता हों ।

(स) विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति -

अंधे , बहरे अथवा विकलांग (आर्थेपेडिकली हेन्डीकेप्ड) छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा स्वीकृत की जाती है ।
(द) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बजट आवंटन होने पर छात्रवृत्ति नियमानुसार देय है ।
(य) देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अन्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग (1. बंजारा , बालदिया , लबाना . 2 गाडिया लुहार , गाडुलिया , 3 गुजर , गुर्जर , 4. रायका , रैबारी , देवासी) की छात्राओं से जो राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है तथा स्नातक प्रथम , द्वितीय , तृतीय वर्ष एव स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एंव उत्तरार्द्ध में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अक प्राप्त किये है । इस योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित छात्राएं आवेदन पत्र एवं अन्य विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.dce.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकती है ।
(र) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

1.योजना माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजगर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र / छात्राओ को जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रू . तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है के लिए 500 रू प्रति माह छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है यह योजना अला आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर बळाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है ।
2. योजना अन्तर्गत लाभः

(अ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को 500 / - रूपये प्रति माह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अथात अधिकतम 5000 रूपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा ।
(ब) इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों को अधिकतम 5 वर्ष तक ही लाभ प्रदत्त किया जावेगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा ।

3. पात्रता.- इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को देय होगा जो निम्न समस्त शर्ता की पूर्ति करते हो-

जो विद्यार्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उस वर्ष की उच्च माध्यमिक परीक्षा में संकायवार वरीयता (मेरिट) सूची अनुसार निम्न स्थान प्राप्त किया हुआ हो ।
कला - प्रथम स्थान 075,000 तक स्थान तक

विज्ञान - प्रथम स्थान से 55,000 तक स्थान तक
वाणिज्य - प्रथम स्थान से 20,000 तक स्थान तक

- आवेदक विद्यार्थी के माता - पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 250 लास अथवा कम हो ।
- वह राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राजकीय उच्च / तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत है ।
- वह राजस्थान का मूल निवासी हो ।
- उसे भारत सरकार राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति अथवा समकक्ष के अंतर्गत लाभ नहीं मिल राह हो ।
- उसका एस बी बी.जे. (जो कि अब में एस.बी आई बैंक के नाम से जाना जाता है) ।
- राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियम परिवर्तनीय है ।

4. आवेदन**-** शैक्षणिक सत्र जुलाई में आरम्भ होने पर निदेशक , कॉलेज शिक्षा के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाकर इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में मांगे जावेंगे । इसका विवरण व आवेदन फार्म का प्रारूप निदेशक , कॉलेज शिक्ष की वेबसाइट पर भी होगा । विज्ञप्ति में उस वर्ष संकायवार न्यूनतम अक भी अंकित होगा ।

5. छात्रवृत्ति की निरन्तरता की प्रक्रिया **-**

छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पाँच वर्ष की अवधि अथवा उच्च / तकनीकी अध्ययन जारी रखने तक भी पहले हो देय होगी परन्तु चयनित छात्र को प्रति वर्ष इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है , उससे कि यह प्रमाणित किया जा सके कि नियमित अध्ययनरत उच्च शिक्षा जारी है । इस हेतु विद्यार्थियों को प्रपत्र च मे आवेदन पत्र भरकर अपने संस्था प्रधान को 20 अगस्त तक प्रस्तुत करना होगा । आवेदन पत्र के साथ पूर्व वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका की प्रति संलग्न हो । आवेदन पत्र के साथ पूर्व वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अक तालिका की प्रति संलग्न हो । संस्था प्रधान सत्यापित कर आवेदन पत्र को नोडल अधिकारी को दिनांक 31 अगस्त तक प्रेषित कर देंगे ।

2 . आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
2. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति
3. अध्यापको के बच्चों को छात्रवृत्ति
4. महिला योग्यता छात्रवृत्ति
5. स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति
6. मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति
7. उर्दू छात्रवृत्ति
8. भारत पाक एवं चीन युद्ध में मृत अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों को एवं उनकी विधवाओं की देय छात्रवृत्ति ।
9. ललित कला छात्रवृत्ति (संगीत संस्थान जयपुर) ।
10. ललित कला छात्रवृत्ति (राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट) ।

11. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को महिला छात्रवृत्ति उपर्युक्त बिन्दु 2 से 8 छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र आयुक्तालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना **2015**

1 योजना का उद्देश्य -

राजस्थान राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने , उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने , उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना है ।

2- नाम एवं प्रभावित क्षेत्र **:**

(1) इस योजना का नाम मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2016 होगा ।

(2) यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी होगी ।

3- योजना के अन्तर्गत देय लाभ **(** स्कूटी वितरण **)-**

राजस्थान मूल की वे छात्राएं जिन्होंने राजकीय विद्यालय से 9 वीं से 12 वीं तक अध्ययन पूरा कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12 वीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों , राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों , में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो , उनको जिलेवार वरीयतानुसार कुल 1650 (प्रत्येक जिले में 50 स्कूटी) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी ।

यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालयों , राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण / सही प्राप्त नहीं होते है , तो जितने आवेदन कम प्राप्त होगें उतनी स्कूटी वरीयता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों , राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी ।

स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा , दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा ।

नोट :

1. छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से तीन वर्ष तक विक्रय / बेचान नहीं किया जा सकेगा ।
2. वर्तमान में अनुसूचित जनजाति (TAD / MADA) की छात्राओं हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जिन जिलों में स्कूटी स्वीकृत की योजना संचालित की जा रही है उन जिलों की छात्रायें इस योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होगी ।
3. विशेष पिछडा वर्ग की छात्राओं के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत स्कूटी वितरण की योजना पृथक से संचालित की जा रही है । अतः

उपरोक्त वर्ग की छात्रा द्वारा इस योजना में आवेदन किया जाता है तो स्वतः ही आवेदन निरस्त होगा , जिसका उतरदायित्व स्वयं छात्रा / अभिभावक का होगा ।

2 पात्रता **:**

1. योजना का लाभ उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जिन्होंने
   A - 9 वीं से 12 वीं कक्षा तक राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहकर उत्तीर्ण की हो ।
   (B) - माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12 वीं कक्षा की परीक्षा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण की हो ।
   (C) - राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों / राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो ।
   2.छात्रा के माता - पिता / अभिभावक / संरक्षक / पति की आय 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) से अधिक नहीं हों ।
   3.योजना का लाभ अविवाहित , विवाहित , विधवा तथा परित्यक्ता छात्राओं को देय होगा ।
   4.जिन छात्राओं को अन्य छात्रवृति / आर्थिक सहायता मिल रही हो , उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी देय नहीं है । यदि वे इस योजना में लाभ नहीं ले पाती है तो वे अन्य योजनाओं में लाभ हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगी ।
   5.स्कूटी हेतु 12 वीं कक्षा व नियमित स्नातक प्रथम वर्ष में अन्तराल (गेप) होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा ।

5 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र **/** दस्तावेज **:**

(1) संबंधित छात्रा द्वारा 9वी 12 वीं कक्षा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
(2) 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की स्व - प्रमाणित फोटो प्रति ।
3 राजकीय महाविद्यालयों / राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की स्व - प्रमाणित फोटो प्रति ।
(4) मूल निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो , की स्व - प्रमाणित फोटो प्रति ।
(5) छात्रा के माता - पिता / पति , अभिभावक / संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत स्व - प्रमाणित शपथ पत्र ।
(6) आधार कार्ड की सत्यापित प्रति ।
7 भामाशाह कार्ड बना हुआ हो बिना भामाशाह कार्ड Online नहीं किया जा सकेगा ।
(8) इस आशय शपथ पत्र की छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति / योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है ।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना **2020**

राज्य के जिला डूंगरपुर की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिये अपना जीवन समर्पित किया । शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक योगदान को श्रद्धाजलि देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिनांक 29.07.2019 वित्त एवं विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में यह घोषणा की , कि " डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिये 19 जून , 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली बाला कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जावेगी । इसमें मेधावी छात्राओं के लिये चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनूसूचित जाति / अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जावेगा " ।

उक्त घोषणा की अनुपालना में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित कर एवं अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को शामिल करते हुए एकीकृत स्कूटी वितरण योजना लागू की जावेगी ।

(1) योजना का नाम एवं उद्देश्य

1. राजस्थान राज्य के राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12 वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12 वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उक्त योजना राज्य में संचालित की जा रही है ।
2 योजना का नाम " कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना होगा " |
3 यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल , 2020) से प्रभावी होगी अर्थात् वर्ष 2020 में कक्षा 12 वीं का घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जायेगी ।
4 इस योजना का नोडल विभाग , आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा ।

योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता
1 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएँ जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो ।
2 राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12 वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर । उक्त निर्धारित प्रतिशत अंको में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किये जायेंगे ।
3. किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा (B.A.BED / B.SC.BED / B.COM.BEDRE TECHY LARCIH BAG BOM / BCA / BDS / BUMS / BA
4 स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से एक वर्ष का अन्तराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा ।

5 किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएँ भी इस योजना में लाभान्वित होगी । किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता / छात्रवृति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा ।
6 जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है , ये छात्रायें इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी । परन्तु पूर्व में TAD विभाग , स्कूल शिक्षा विभाग से 10 वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10 वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12 वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रूपयें एक मुश्त राशि प्राप्त होगी

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना

नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :
(1) इस योजना का नाम देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना होगा ।
(2) यह नियम राज्य में पिछडा वर्ग में से अति पिछडे वर्ग में गुर्जर सहित 05 जातियों [यथा 1 , बंजारा , बालदिया , लवाना 2 गाडिया - लौहार , गाडोलिया 3. गूजर , गुर्जर 4. राईका , रैवारी (देवासी , देवासी) 5. गडरिया , (गाडरी) , गायरी] पर लागू होगा ।
(3) यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावित होंगे ।
(4) यह नियम वर्ष 2021-22 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं से मान्य होगा ।

योजना का उद्देश्य :

राज्य में पिछडा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग में गुर्जर सहित 05 जातियों [यथा 1 . बंजारा , बालदिया , लयाना 2 गाडिया - लौहार , गाडोलिया 3 गूजर , गुर्जर 4. राईका , रैवारी (देवासी , देवासी) 5. गडरिया (गाडरी) , गायरी की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12 वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने , उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने , उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु बाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है ।

योजना के अन्तर्गत देय लाभ :

(1) स्कूटी वितरण : - राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12 वीं (सी . सैकण्डरी) परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों , राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो , उनको 1500 (एक हजार पांच सौ मात्र) स्कूटी स्वीकृत कर निशुल्क वितरित की जावेगी । नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरियता सूची

तैयार कर स्वीकृत की जावेगी । शेष छात्राओं के आवेदन पत्रों को प्रोत्साहन राशि हेतु स्वीकार कर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जावेगी । यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण / सही प्राप्त नहीं होते है , तो जितने आवेदन कम प्राप्त होगे उतनी स्कूटी वरियता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में आध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी ।

स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा , दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिकाओं में प्राप्तांक प्रतिशत निकाला हुआ होना चाहिए ।

(2) प्रोत्साहन राशि **: -**

राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय , राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है , उनके द्वारा 12 वीं (सी 0 सैकण्डी) [जो छात्राएँ स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती हैं उन्हें] , स्नातक प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है । उन्हें क्रमश प्रथम वर्ष , द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में रु . 10,000 / - (रु . दस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी 0 जी 0 डिग्री प्रवेश वर्ष) में रु . 20,000 / (रु . बीस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में रू . 20,000 / - (वीस हजार मात्र) वार्षिक बतोर प्रोत्साहन राशि दी जावेगी ।

उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता योजना / अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा । यदि वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाती हैं तो अन्य योजनाओं में लाभ हेतु आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र होगी ।

पात्रता **: -**

निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर लाभ देय होगा :

(1) योजना का लाभ विशेष पिछडे वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जो राजस्थान की मूल निवासी है तथा राजकीय महाविद्यालय / राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभागों , कृषि विश्वविद्यालयों / कृषि महाविद्यालयों , संस्कृत विश्वविद्यालयों / संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है ।

(2) छात्रा के माता - पिता / अभिभावक संरक्षक पति की वार्षिक आय रू . 2,50,000 / - (रु . दो लाख पचास हजार) से कम होनी चाहिए ।

(3) योजना का लाभ अविवाहित , विवाहित , विधवा तथा परित्यक्ता छात्राओं को देय होगा ।

(4) जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति मिल रही हो , उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी / प्रोत्साहन राशि देय नहीं है ।

(5) 12 वीं (सी ० सैकण्ड्री) तथा नियमित स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक अन्तिम वर्ष एवं नियमित Op स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अन्तराल (गेप) होने पर योजना का लाभ देय नहीं है ।

छात्रों के लिए छात्रवृत्ति संबंधी मार्गदर्शिका

छात्र , नूतन (फ्रेश) अथवा नवीनीकरण (रिन्यूवल) छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित आवेदन में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाते ही शिक्षण संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे I आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए ताकि स्पष्ट एवं शुद्ध लेखों में होना चाहिए . जिनमें निम्न बातें मुख्य है -
(अ) उक्त जाति के जिन छात्रों ने सीनियर सैकण्डरी परीक्षा पास की है अथवा जिन्होंने एक स्तर का कोर्स पूरा किया है जैसे इन्टरमीडियेट आदि आगे अध्ययन हेतु बी.ए. / बी.एस.सी / बी कॉम में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें आवेदन पत्र भरने होंगे तथा जिन छात्रों ने इस महाविद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त की हैं उन्हें नवीनीकरण के फार्म भरने होगें ।

नोट **:-**

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना एंव देवनारायण स्कूटी योजना / प्रोत्साहन राशि योजना के आवेदन पत्र इन्टरनेट से डाउनलोड किये जा सकते है ।
2. छात्रवृत्ति से संबंधित सूचनाएं समय - समय पर महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्या कर दी जायेगी ।

महाविद्यालय परिवार
प्राचार्य एवं संरक्षक
डॉ दिलीप कुमार गोयल

संकाय सदस्य
इतिहास विभाग
श्रीमती सुमन देवी शर्मा

हिंदी विभाग
श्री भीम सिंह मीणा

अंग्रेजी विभाग
श्री श्रीकृष्ण मीणा

संस्कृत विभाग
डॉ योगेंद्र कुमार धामा

भूगोल विभाग
श्री ओम प्रकाश शर्मा

राजनीति विज्ञान
डॉ दिलीप कुमार गोयल

अर्थशास्त्र विभाग
रिक्त

अधीनस्थ कर्मचारी
पुस्तकालय अध्यक्ष
रिक्त

शारीरिक शिक्षक
रिक्त

कार्यालय अधीक्षक
रिक्त

सहायक लेखा अधिकारी
श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता

सूचना सहायक
रिक्त

वरिष्ठ लिपिक
श्री ओम रघुराज विलियम

कनिष्ठ लिपिक
श्री दिलखुश मीना

प्रयोगशाला सहायक
रिक्त

बुक लिफ्टर
रिक्त

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
श्री सतीश कुमार माली

प्रवेश समिति 2021-22